

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-332/2024 दिनांक 26.11.2024)
***दिनांक-26.11.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा चोरी की 02 मोबाइल फोन के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.11.2024 को थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 445/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त शैलेश यादव पुत्र मुन्ना यादव साकिन लाला टोला छावनी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को 02 अदद एंड्रायड मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 445/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

शैलेश यादव पुत्र मुन्ना यादव साकिन बलुचहाँ लाला टोला छावनी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 881/2022 धारा 379/411/413 भादवि0 थाना कसया कुशीनगर

मु0अ0सं0 738/2022 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर

मु0अ0सं0 283/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर

मु0अ0सं0 425/2017 धारा 279/337/338 भादवि0 थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

01. चोरी का 02 अदद एंड्रायड मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र०नि० रामसहाय चौहान थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० विनय कुमार सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
3. उ०नि० बृजेश कुमार सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
4. हे०का० संतोष चौरसिया थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
5. हे०का० अमरनाथ यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
6. का० रामेन्द्र यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
7. का० समीम थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में एक वांछित व एक अन्य वारण्टी सहित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

-

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.11.2024 को थाना अहिरौली पुलिस टीम द्वारा मु०अ०सं० 393/2024 धारा 147/323/504/506/452/376 भादवि० व 3(1)द/3(1) ध व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल मजीद साकिन पगरा थाना अहिरौली बाजार जनपद व मु०नं० 756/2019 धारा 323/504/506 भादवि० से सम्बन्धित वारण्टी रविन्दर पुत्र चोकट साकिन पकड़ी थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1-मु०अ०सं० 393/2024 धारा 147/323/504/506/452/376 भादवि० व 3(1)द/3(1) ध व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 2- मु०नं० 756/2019 धारा 323/504/506 भादवि० थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल मजीद साकिन पगरा थाना अहिरौली बाजार जनपद (वांछित)
- 2- रविन्दर पुत्र चोकट साकिन पकड़ी थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर (वारण्टी)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० अजीत कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
02. उ०नि० अतुल कुमार बिन्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
03. उ०नि० गिरिजेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
04. हे०कां० रमेश चौधरी थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
05. कां० आदित्य राजभर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
06. कां० देवेन्द्र यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
07. कां० देवेन्द्र यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.11.2024 को थाना अहिरौली पुलिस टीम द्वारा मु०अ०सं० 440/2024 धारा 74 बी०एन०एस० व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त 1- किशन पुत्र रामवृक्ष प्रसाद, 2. राजकुमार कन्नौजिया पुत्र श्रवण प्रसाद साकिनान रोहुआ मछरगावां थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 440/2024 धारा 74 बी०एन०एस० व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. किशन पुत्र रामवृक्ष प्रसाद साकिन रोहुआ मछरगावां थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. राजकुमार कन्नौजिया पुत्र श्रवण प्रसाद साकिन रोहुआ मछरगावां थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० अजीत कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
02. उ०नि० अतुल कुमार बिन्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
03. हे०कां० रमेश चौधरी थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
04. कां० आदित्य राजभर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
05. कां० देवेन्द्र यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

हिन्दू युवती को भगाकर धर्मांतरण कराने व दुष्कर्म करने आदि के मामले

में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार:-

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.11.2024 को थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0108/2024 धारा 137(2)/142/87/352/351(2)/61(2) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित अभियुक्त शाहिद उर्फ गोल्डेन पुत्र फिरोज अली साकिन बिचपटवा थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 0108/2024 धारा 137(2)/142/87/352/351(2)/61(2) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

शाहिद उर्फ गोल्डेन पुत्र फिरोज अली साकिन बिचपटवा थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-प्र0नि0 श्री राजेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
- 2-व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 सुशील कुमार गौतम थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
- 4-का0 रमेश सिंह यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
- 5-का0 सुनील सरोज थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 25 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-02, ई-चालान-114 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-44, व्यक्ति-120
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)

4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-31)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर